फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक - 10.03.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त को आलाकत्ल (एक टकोरा) सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 62/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट वांछित अभियुक्त विजय पुत्र रामनिवास निवासी मोहल्ला प्रेमनगर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. विजय पुत्र रामनिवास निवासी मोहल्ला प्रेमनगर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 07.03.2026 को वादी चन्द्र किशोर कोरी पुत्र सीताराम कोरी निवासी मोहल्ला घसिया चिलौली कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री को ससुरालीजनों द्वारा मानसिक एंव शारीरिक रूप से प्रताडित कर अतिरिक्त दहेज की मांग करने तथा मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री के पति विजय द्वारा टकोरे से सिर पर हमला कर देना जिससे वादी की पुत्री

की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 62/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम विजय पुत्र रामनिवास निवासी मोहल्ला प्रेमनगर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ आदि 04 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशान देही पर आलाकत्ल (एक टकोरा) सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त विजय उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 07.03.2026 मेरा व मेरी पत्नि का झगड़ा हो गया था। गुस्से में मैने अपनी पत्नि के टकोरा मार दिया था। मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो।

अभियुक्त विजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 62/26 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक टकोरा (आला कत्ल)

गिरफ्तारी/बरामदी करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
02. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह
03. का0 विनीत कुमार
04. का0 प्रवीन

मीडिया सेल फतेहगढ़।